छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

:: प्रथम अपील प्रकरण ::

प्रकरण क्रमांक 04/2007

श्री इंदर चंद सोनी,
सामाजिक कार्यकर्ता,
जवाहर चौक, दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय राज्य सूचना आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 01 जनवरी 2008)

श्री इंदरचंद सोनी, जवाहर चौक दुर्ग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग के द्वारा मांगी गई सूचना नियत अवधि में प्रदान न किये जाने के फलस्वरूप प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन–पत्र दिनांक 20–09–2007 के द्वारा जन सूचना अधिकारी से आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक 280/07 में दिये गये आदेश दिनांक 17–07–2007 की प्रमाणित छायाप्रति माँगी थी। साथ ही उक्त आदेश के परिपालन में संचालक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें द्वारा की गई कार्यवाही/पत्राचार की छायाप्रतियाँ संचालक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें के द्वारा आयोग को प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रमाणित छायाप्रति तथा प्रकरण से संबंधित प्रभारी अधिकारियों के विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश/निर्देश पत्र की प्रमाणित छायाप्रतियाँ आदि की जानकारी चाही गई थी। उक्त जानकारी निर्धारित अवधि 30 दिन के अन्दर आवेदक को प्राप्त नहीं हुई।

3/ संबंधित जन सूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 24–12–2007 को आवेदक अनुपस्थित थे। आवेदक के द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया कि सूचना आयोग के द्वारा जारी नोटिस के साथ उल्लेख किया गया है कि दिनांक 20–09–2007 को प्रथम अपील आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि इस दिनांक को अपीलार्थी ने कोई अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। आवेदक के उपरोक्त पत्र के संबंध में यह पाया गया कि

संशोधित सूचना–पत्र दिनांक 22–12–2007 को जारी किया गया है, जबकि सुनवाई की तिथि 24–12–2007 थी। पुनः दिनांक 31–12–2007 को प्रकरण में सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई तथा अपीलार्थी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। दिनांक 31–12–2007 को जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुये। अतः गुणदोष के आधार पर प्रकरण पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 30 दिन के अन्दर जानकारी दिया जाना आवश्यक है, अतः जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे तथा जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाावे। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी अपील प्रकरण से संबंधित होने के कारण उप सचिव, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने के लिये पत्र दिनांक 25–09–2007 के द्वारा जारी किया गया। उप सचिव के द्वारा दिनांक 13–12–2007 को जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसका कि अभिलेख शुल्क 42/–रुपये आवेदक को जमा करने के लिए सूचित किया गया। चूँकि जानकारी निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराई गई थी, अतः वांछित जानकारियाँ 21 पृष्ठों की आयोग के पत्र दिनांक 19–12–2007 के द्वारा अण्डर पोस्टिंग ऑफ सर्टिफिकेट अंतर्गत डाक द्वारा भेजी गई।

4/ प्रकरण से स्पष्ट होता है कि आवेदक को वांछित जानकारियाँ 30 दिन में आयोग के अपील सेक्शन द्वारा जन सूचना अधिकारी को विलम्ब से जानकारी देने के कारण नहीं भेजी जा सकी। इसी कारण जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्रदान की गई हैं। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है, तथा जानकारियाँ निःशुल्क भेजी गई है। चूँकि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में जानकारी तैयार न होने के फलस्वरूप निःशुल्क प्रदान कर दी गई है। अतः अब इस प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती। यह अवश्य है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा वांछित जानकारी एक ही कार्यालय के होने के पश्चात् भी अत्यंत विलम्ब से दी गई है, यह स्थिति उचित प्रतीत नहीं होती। संबंधित उप सचिव एवं जन सूचना अधिकारी को सचेत किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के संबंध में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

5/ उपरोक्त निर्देशों के साथ इस प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(एस. पी. त्रिवेदी)
सचिव,
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त